भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1529
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कर्नाटक में लखपति दीदी योजना

1529. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु प्रयुक्त मानदंड क्या हैं;

(ग) कर्नाटक में लखपति दीदी संबंधी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की जिला-वार संख्या कितनी है और निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए ऋण, सूक्ष्म वित्त और कौशल प्रशिक्षण तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): 'लखपती दीदी' दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें कम से कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है , जो कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों में सतत आधार पर हो। यह पहल कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है।

एसएचजी सदस्यों को लखपति दीदी बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह पहल व्यक्तिगत एसएचजी महिलाओं पर केंद्रित है और योजना बनाने , कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया में , सामुदायिक संस्थागत संरचनाएँ जैसे कि एसएचजी , ग्रामीण

संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तर के महासंघ (सीएलएफ) इस गतिविधियों का नेतृत्व करती हैं। यह पहल वित्तीय साक्षरता , कौशल विकास और सरकारी विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के साथ-साथ एसएचजी महिलाओं में उद्यमशीलता क्षमता विकसित करने के लिए भी उद्देश्यपूर्ण है, ताकि सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके।

अब तक लगभग 10.05 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। आजीविका हस्तक्षेप (कृषि और असंगठित दोनों क्षेत्र) और वित्तीय समावेशन की वर्तमान समर्थन संरचना के साथ , सामूहिक प्रयास एसएचजी सदस्यों को लखपति दीदियों बनने के लिए सहायता प्रदान करने में किए जा रहे हैं। पीएलडी का चयन समुदायिक संगठन (एसएचजी , वीओ, सीएलएफ) के परामर्श से किया जाता है। लखपति दीदी पहल के लिए, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्य प्रदान किए गए हैं और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों ने इसके योजना , क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य-विशेष रणनीति तैयार की है।

(घ) डीएवाई-एनआरएलएम विभिन्न उपायों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण और माइक्रोफाइनेंस सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर रहा है, जो इस प्रकार हैं:

i. एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) के रूप में वित्त उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे एक कार्पस तैयार कर सकें , ताकि एसएचजी सदस्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त कर सकें।

ii. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सब्सिडी दरों पर ऋण लेने के लिए बैंक लिंकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 से, एसएचजी को अब तक 11 लाख करोड़ रुपये के बैंक क्रेडिट तक पहुँचने में सहायता दी गई है। महिलाओं के एसएचजी को क्रेडिट प्रदान करने के लिए मास्टर सर्कुलर भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी किए जाते हैं। एसएचजी के सदस्यों को लेखांकन, रिकॉर्ड-कीपिंग, बजटिंग और ऋण प्रबंधन आदि पर प्रशिक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कौशल भी प्रदान किए जाते हैं।

iii. डीएवाई-एनआरएलएम गरीबों को किफायती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने में भी सहायक है और यह गरीबों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा उनके महासंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करके वित्तीय समावेशन के दोनों पहलुओं , यानी मांग और आपूर्ति पर काम करता है। डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी महिलाओं

को बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट सखी (बीसी सखी) के रूप में तैनात किया जाता है , जिसमें बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स की सहायता शामिल है।

इसके अलावा, कौशल प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रमों को डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कार्यान्वित करता है , जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल विकास करना और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम है, जो 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त बनाता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है।